



# पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स- 0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 2070 / अका. / का.प / 2023

रायपुर, दिनांक 20 / 12 / 2023

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की '82वाँ' बैठक बुधवार दिनांक 20.12.2023 को अपराह्न 03.00 बजे कुलपति सचिवालय के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:-

डॉ. सच्चिदानंद शुक्ल, कुलपति - अध्यक्ष

1. डॉ. व्यास दुबे	- सदस्य	6. डॉ. अल्फारेखा सी. जेम्स	- सदस्य
2. डॉ. आर.के. ब्रह्मे	- सदस्य	7. डॉ. मनोज कुमार मिश्रा	- सदस्य
3. डॉ. राजीव चौधरी	- सदस्य	8. श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट	- सदस्य
4. डॉ. रोहिणी प्रसाद	- सदस्य	9. श्रीमती प्रेमा गुलाब एक्का	- सदस्य
5. डॉ. कल्लोल कुमार घोष	- सदस्य	10. डॉ. बिजयानंद सिंह	- सदस्य

डॉ. शैलेंद्र कुमार पटेल, कुलसचिव - सचिव

## कार्यवृत्त

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 22.09.2023 के कार्यवृत्त की संपुष्टि प्रदान करना।  
निर्णय: संपुष्टि की गई।
2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 22.09.2023 की कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।  
निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।

## वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

3. फार्मसी संस्थान में माड्यूलर लैब निर्माण हेतु अनुबंधित फर्म मेसर्स M/S Hitendra Enterprises, Raipur द्वारा देयक राशि रु. 39,25,766.00 (रुपए उनतालीस लाख पच्चीस हजार सात सौ छैंसठ मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।  
निर्णय: फर्म द्वारा दीपावली पूर्व भुगतान के आग्रह के सापेक्ष कार्यपरिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में रु. 5.00 लाख (रुपए पाँच लाख मात्र) का भुगतान दिनांक 02.11.2023 को किया गया है। अतः रु. 5.00 लाख (रुपए पाँच लाख मात्र) की कार्योत्तर एवं शेष राशि रु. 34,25,766.00 (रुपए चौतीस लाख पच्चीस हजार सात सौ छैंसठ मात्र) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

## अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

4. साईं सदन एजुकेशन स्कूल, खसरा नं.- 153/1, प्लॉट नं.- 25/13, ग्राम- बेन्द्री, अभनपुर, रायपुर (छ.ग.)- 492001 में प्राचार्य की नियुक्ति के संबंध में बंद लिफाफा खोलना।  
निर्णय : साईं सदन एजुकेशन स्कूल, खसरा नं.- 153/1, प्लॉट नं.- 25/13, ग्राम- बेन्द्री, अभनपुर, रायपुर (छ.ग.)- 492001 के प्राचार्य पद के लिए चयन समिति द्वारा अनुशंसित डॉ. प्रियम्वदा मिश्रा (Dr. Priyamvada Mishra) के नाम का अनुमोदन किया गया।

## मनोविज्ञान अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

5. एम.ए. मनोविज्ञान सत्र 2023-24 में अतिरिक्त 15 सीट की वृद्धि की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।  
निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

## यांत्रिकी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

6. छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, के पत्र क्रमांक एफ 15-08/2023/38-1 दिनांक 06.10.2023 के परिपालन में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रुसा) के अंतर्गत पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में संपादित नवीन निर्माण रिनोवेशन/उन्नयन एवं उपकरण क्रय कार्यों की संशोधित लागत राशि रु. 591.52 लाख प्राप्त की सूचना ग्रहण करना एवं कार्योत्तर स्वीकृति के संदर्भ में अनुमति हेतु कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत।

निर्णय: अनुमति प्रदान की गई।

## पूरक विषयसूची

1. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 19.12.2023 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय: अनुमोदन किया गया।

## वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

2. डॉ. बशीर हसन, प्राध्यापक मनोविज्ञान अध्ययनशाला के अवकाश नगदीकरण की राशि रुपए 24,78,752.00 (रुपए चौबीस लाख अठहत्तर हजार सात सौ बावन मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

3. डॉ. बशीर हसन, प्राध्यापक मनोविज्ञान अध्ययनशाला के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 35,92,013.00 (रुपए पैंतीस लाख बयानबे हजार तेरह मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

4. डॉ. ए.के. गुप्ता, प्राध्यापक, लाईफ साइंस अध्ययनशाला के अवकाश नगदीकरण की राशि रुपए 24,78,752.00 (रुपए चौबीस लाख अठहत्तर हजार सात सौ बावन मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

5. डॉ. के.के. वर्मा, तकनीकी अधिकारी, भू-विज्ञान अध्ययनशाला के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 28,73,706.00 (रुपए अठाईस लाख तीहत्तर हजार सात सौ छः मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

6. डॉ. व्ही.के. दीक्षित, तकनीकी अधिकारी, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 19,98,245.00 (रुपए उन्नीस लाख अनठानबे हजार दो सौ पैंतालीस मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

7. श्री सुनीत कुमार उपाध्याय, सुपरवाइजर, विश्वविद्यालय प्रेस के आवेदन अनुसार पुत्री के विवाह हेतु भविष्य निधि से आंशिक पूर्ण भुगतान फलस्वरूप राशि रु. 10,00,000.00 (रुपए दस लाख मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

8. विश्वविद्यालय के दैनिक वेतन भोगी के वेतन भुगतान हेतु A General Administration 22 Automation of Fin. Academic Admn.Office/Admin Block मद में प्रावधानित राशि रु. 100.00 लाख के पुनर्विनियोजन पश्चात् शेष राशि रु. 97.00 लाख में से F. Examination and evaluation administration 13-Honorarium for examination purpose मद के लिए राशि रु. 11.50 लाख बजट 2023-24 में पुनर्विनियोजन के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय: अनुमोदन किया गया।

9. शिक्षकों को कैरियर एडवांसमेंट योजना के तहत पदोन्नति के वेतनमान का निर्धारण के उपरांत वेतन अंतर के एरियर्स भुगतान किये जाने की स्वीकृति पर विचार करना।  
निर्णय: विश्वविद्यालय के आदेश क्र. 737/स्था./सा. प्रशा./2023 रायपुर, दिनांक 17/02/2023, क्र. 1344/स्था./सा. प्रशा./2023 रायपुर, दिनांक 27/03/2023, क्र. 2139/स्था./सा.प्रशा./2023 रायपुर, दिनांक 12/05/2023. क्र. 2583/स्था./सा.प्रशा./2023 रायपुर, दिनांक 06/06/2023, क्र. 377/स्था./सा. प्रशा./2023 रायपुर, दिनांक 27/01/2023, क्र. 697/स्था./सा. प्रशा./2023 रायपुर, दिनांक 16/02/2023 तथा क्र. 699/स्था./सा. प्रशा./2023 रायपुर, दिनांक 16/02/2023 के द्वारा शिक्षकों को कैरियर एडवांसमेंट योजना के तहत प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के अकादमिक लेवल 10 से 11 तथा 11 से 12 पर स्तरोनयन/पदोन्नति के फलस्वरूप वेतन निर्धारण संचालक संचालनालय, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) के द्वारा अंतिम रूप से पारित किए जाने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय के उक्त आदेश को अंगीकृत कर कुल एरियर्स की राशि आयकर एवं सीपीएफ कटौती सहित कुल राशि रु. 29,87,164/- (रूपये उन्तीस लाख सत्तासी हजार एक सौ चौसठ मात्र) भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

10. डॉ. व्ही.के. दीक्षित, तकनीकी अधिकारी (से.नि.) अर्थशास्त्र अध्ययनशाला के अवकाश नगदीकरण की राशि रु. 10,09,052/- (रूपये दस लाख नौ हजार बावन मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

11. डॉ. कृष्ण कुमार वर्मा, तकनीकी अधिकारी (से.नि.), भू-विज्ञान अध्ययनशाला के अवकाश नगदीकरण की राशि रु. 15,09,933/- (रूपये पंद्रह लाख नौ हजार नौ सौ तैतीस मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

12. संचालक, शारीरिक शिक्षा विभाग, पं. रविशंकर शुक्ल, विश्वविद्यालय के वित्तीय सत्र 2023-24 बजट प्रावधान के वृद्धि के संबंध में विचार करना।

निर्णय: संचालक, शारीरिक शिक्षा विभाग, पं. रविशंकर शुक्ल, विश्वविद्यालय, रायपुर के बजट वित्तीय सत्र 2023-24 में सकल प्रावधानित राशि रु. 55.50 लाख व्यय के पश्चात् बजट में वृद्धि अथवा पुनर्विनियोजन पर विचार किए जाने का अनुमोदन किया गया।


सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

13. श्री धनेश प्रसाद चौबे, नि.व.लि. की प्रतिनियुक्ति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: श्री धनेश प्रसाद चौबे, नि.व.लि. को अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर में संविलियन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए राज्य शासन को पत्र प्रेषित किए जाने का अनुमोदन किया गया।

14. श्रीमती नीरजा भगत, ग्रंथालय सहा. ग्रेड-1, पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार (वर्तमान में शास. रेवती रमण मिश्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सूरजपुर में ग्रंथपाल के पद पर कार्यरत) के आवेदन दिनांक 06.11.2023 के द्वारा दो वर्ष धारणाधिकार की समाप्ति उपरांत विश्वविद्यालय की सेवा से त्याग करने एवं बकाया राशि एवं सेवा-पुस्तिका प्रदान करने के अनुक्रम में सेवा दिनांक 18.10.2023 से समाप्त किए जाने, संबंधित विभागों से अदेय प्रमाण-पत्र प्राप्त किए जाने एवं कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् मूल सेवा-पुस्तिका वर्तमान विभाग को प्रेषित किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: तकनीकी त्यागपत्र स्वीकार करते हुए प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।



15. शिक्षकों की रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु जारी विज्ञापन क्रमांक 3916/Estb/Gen.Adm./2023 Raipur dt. 06.09.2023 पर प्राप्त आवेदन के संबंध में विचार करना।

**निर्णय:** शिक्षकों की रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु जारी विज्ञापन क्रमांक 3916/Estb/Gen.Adm./2023 Raipur dt. 06.09.2023 पर प्राप्त आवेदन के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिया गया –

1. अंतिम तिथि दिनांक 11.10.2023 के उपरांत प्राप्त कुल 55 आवेदन पत्रों को (जिनमें से 02 आवेदन, आवेदन हेतु निर्धारित अंतिम तिथि 11.10.2023 के पश्चात डाक से प्रेषित किए गए हैं) नियमानुसार अस्वीकृत करते हुए भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किए जाने का निर्णय लिया गया।
2. प्राप्त आवेदनों के लिफाफा को खोलकर संलग्नकों सहित आवेदन पत्र की Page Numbering की जाएगी।
3. संलग्नकों सहित प्रत्येक आवेदन पत्र की स्केनिंग कर हार्डडिस्क (External) में सुरक्षित रखा जाए।
4. Scanning उपरांत प्राप्त समस्त स्वीकृत आवेदनों की Listing कर स्कुटनी समिति को सौंपा जाए।

स्कुटनी समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे –

- (a) Director, IQAC
  - (b) विभागाध्यक्ष (जो संबंधित विषय विशेषज्ञता धारित करता हो )  
यदि विशेषज्ञता धारित करने वाला विभागाध्यक्ष न हो तो कुलपति जी की अनुमति से संकायाध्यक्ष अथवा बाह्य विशेषज्ञ होंगे।
  - (c) Dr. B.S. Thakur, HOD (SoS in Mathematics)
  - (d) Dr. K.K. Sahu, HoD (SoS in Biotechnology)
  - (e) Dr. S.J. Daharwal, HoD (Institute of Pharmacy)
  - (f) Dr. Sunil Kumetee, Assistant Pfoessor (SoS in Economics)
5. आवेदनों की स्क्रूटनी के उपरांत API Score के निर्धारण एवं अर्हता जाँच हेतु आवेदन पत्रों को निदेशक IQAC को भेजा जाए। IQAC से प्राप्त प्रस्ताव के सापेक्ष सीधी भर्ती एवं CAS आवेदनों के लिए Assistant Professor, Associate Professor, एवं Professor हेतु IQAC Screening Committee का गठन निम्नानुसार किया जाता है :-

- i. Director, IQAC
- ii. Head of Department\*
- iii. Prof. B.S. Thakur, Head, SoS in Mathematics
- iv. Prof. A.K. Shrivastava, Dean, Management & Head, Institute of Management

\*If the Head is not from the relevant Subject area, in that case, he/she may be replaced by the Dean of the concerned Faculty or a Subject Expert nominated by the Honorable Vice-Chancellor.

6. प्राप्त आवेदनों को खोलकर Paging, Scanning एवं Listing कर स्कुटनी समिति के समक्ष रखने के लिए निम्नानुसार समिति गठित किया जाता है:-

- (a) श्रीमति शोभना सिंह, सहायक कुलसचिव (प्रशासन)
- (b) श्री महेन्द्र सिंह पटेल, उ.श्रे.लि. वर्ग 2
- (c) श्री गिरीश कुमार सेन, उ.श्रे.लि. वर्ग 2
- (d) श्री प्रभात कुमार झा, उ.श्रे.लि. वर्ग 2
- (e) श्री मनोज कुमार यदु, डाटा एंट्री आपरेटर

7. प्राप्त पूर्व आवेदनों में से संबंधित कुल 05 आवेदकों के द्वारा आवेदन पत्र ईमेल/डाक के माध्यम से पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनके विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	आवेदक	विवरण	संलग्नक
01.	डॉ. मधुलता बारा, एसोसिएट प्रोफेसर, भाषा एवं साहित्य पं. रवि.वि.वि. रायपुर आवेदन दिनांक 07.11.2023	भूलवश पूर्व में प्रेषित विज्ञापन के लिए आवेदन में डी.डी. के स्थान पर रेमुनरेशन का चेक स्वयं के नाम पर जमा कर दिया गया है।	डी.डी. क्रमांक 397345 एस.बी.आई दिनांक 30.09.2023 संलग्न कर आवेदन में शामिल किए जाने का अनुरोध किया गया है।
02.	डॉ. रमेश कुमार टंडन, ग्राम - फूलबधिया, तह.- खरसिया जिला- रायगढ़ छग आवेदन दिनांक 13.10.2023	डाक विभाग की लापरवाही के कारण आवेदन विलंब से पहुंचना का लेख किया गया है।	डाक विभाग के विलंब के कारण आवेदन को सम्मिलित किए जाने का अनुरोध किया गया है।
03.	श्री अमित सोनी, आईजीएनटीयू, अमरकंटक म.प्र. आवेदन दिनांक 16.11.2023	16.11.2023 अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न कर आवेदन में शामिल करने हेतु अनुरोध किया गया है।	इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक का अनापत्ति प्रमाण पत्र (विज्ञापन की कंडिका क्रमांक 6 में साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करने का उल्लेख है)
04.	डॉ. प्रीतिबाला चंद्राकर, शासकीय महा. दुर्ग	एसोसिएट प्रोफेसर भूगोल के आवेदन में रिसर्च पेपर स्वीकार करने बाबत	आवेदन में लिखित के अनुसार
05.	डॉ. कुबेर सिंह, Vill.-Bhulandabari Post & Tehsil- Gurur Dist.- Balod Chhattisgarh	एसो. प्रोफेसर भूगोल के हस्तलिखित आवेदन के स्थान पर प्रिंटेड आवेदन जमा करने के संबंध में	प्रिंटेड आवेदन

निर्णय लिया गया कि आवेदन प्राप्ति के अंतिम तिथि तक लिफाफे में प्राप्त आवेदन पत्रों के अतिरिक्त अन्य माध्यम से प्राप्त दस्तावेज पर विचार नहीं किया जाए। तथा विज्ञापन में उल्लेखित नियमानुसार कार्यवाही किया जाय।


8. IQAC से प्राप्त सीधी भर्ती के लिए Criteria for Shortlisting of candidates, Academic/Research Score Sheets, and Selection criteria के प्रारूप को अनुमोदित किया गया।
9. सीधी भर्ती हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 11.10.2023 तक प्राप्त कुल 375 आवेदनों में से निम्नलिखित Receiving No. से संबंधित आवेदकों के आवेदन पत्र में डिमांड ड्राफ्ट संलग्न नहीं है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

Serial No.	Receiving No.
1.	1
2.	84
3.	116
4.	245
5.	345

उपरोक्त आवेदनों को भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किए जाने का निर्णय लिया गया।

16. शिक्षकों के स्व-मुल्यांकन प्रतिवेदन (PBAS) एवं कैरियर एडवांस योजना (CAS) आवेदन प्रारूप सक्षम अनुमोदन के संबंध में विचार करना।

निर्णय: विश्वविद्यालय द्वारा गठित स्क्रीनिंग समिति के द्वारा तैयार शिक्षकों के स्व-मुल्यांकन प्रतिवेदन PBAS (Arts, Humanities and Social Science Streams) & PBAS (Science Streams) एवं कैरियर एडवांस योजना (CAS) आवेदन Assistant Professor (Academic level 10 to level 11), Assistant Professor (Academic level 11 to level 12), Assistant Professor to Associate Professor (Academic level 12 to level 13A) एवं Associate Professor to Professor (Academic level 13 A to level 14) का अनुमोदन किया गया।



17. डॉ. जी.के. देशमुख, सह प्राध्यापक प्रबंध संस्थान पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर की अनुपस्थित अवधि के संदर्भ में अवकाश नियमों के आलोक में" प्रकरण में गठित समिति से प्राप्त प्रतिवेदन के संबंध में विचार करना।

निर्णय: डॉ. जी.के. देशमुख, सह प्राध्यापक प्रबंध संस्थान पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर की अनुपस्थित अवधि के संदर्भ में अवकाश नियमों के आलोक, प्रकरण में गठित समिति के प्रतिवेदन, प्रकरण से संबंधित संक्षेपिका/प्रतिवेदन तथा इस संबंध में राजभवन के आदेश/निर्देशों व कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 14.07.2008, दिनांक 17.02.2023 तथा बैठक दिनांक 22.09.2023 द्वारा पूर्व में लिए गए निर्णय के अवलोकन पश्चात् दिनांक 03.11.2007 से 07.05.2008 तक कुल 187 दिनों की अवकाश अवधि के संबंध में निम्नांकित निर्णय लिया गया—

(i) डॉ. जी.के. देशमुख के संबंध में प्रश्नगत 187 दिनों की अवधि हेतु इनकी शैक्षणिक वृत्ति बाधित न हो, इसे ध्यान में रखते हुए, उक्त अवधि का असाधारण अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(ii) उक्त स्वीकृति के सापेक्ष डॉ. देशमुख की वेतन परिलब्धियाँ (Increment and fixation) के संबंध में वित्तीय नियमों के आधार पर विश्वविद्यालय को प्रशासनिक निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया जाता है।

18. डॉ. अलेख कुमार साहू, सहायक प्राध्यापक, विधि अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के "निलंबन काल को कर्तव्य अवधि के रूप में स्वीकार किए जाने के संबंध में" प्रकरण में गठित समिति से प्राप्त प्रतिवेदन के संबंध में विचार करना।

निर्णय: डॉ. अलेख कुमार साहू, सहायक प्राध्यापक, विधि अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के "निलंबन काल को कर्तव्य अवधि के रूप में स्वीकार किए जाने के संबंध में" प्रकरण में गठित समिति के प्रतिवेदन के अवलोकन व अधिवक्ता जन्मेजय सोना दिनांक 02.02.2023, अविनाश के. मिश्रा दिनांक 30.07.2023 तथा नीरज चौबे दिनांक 16.09.2023 से प्राप्त विधिक अभिमत के आधार पर दिनांक 17.05.2018 से 26.10.2021 तक के निलंबन काल को कर्तव्य अवधि के रूप में स्वीकार करते हुए न्यायिक अभिरक्षा अवधि को छोड़कर शेष अवधि का वेतन प्रदान किए जाने की स्वीकृति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की गई कि कार्यपरिषद् का यह निर्णय डॉ. अलेख साहू से संबंधित न्यायालयीन प्रकरण में अंतिम निर्णय के अध्याधीन होगा। साथ ही डॉ. अलेख कुमार साहू से यह भी शपथ पत्र लिया जाए कि उनके संबंध में गठित समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित न्यायालयीन प्रकरण के अतिरिक्त उनसे संबंधित में कोई अन्य विधिक प्रकरण प्रचलित नहीं है।

उक्त स्वीकृति के सापेक्ष डॉ. अलेख कुमार साहू की वेतन परिलब्धियाँ (Increment and fixation) के संबंध में वित्तीय नियमों के आधार पर विश्वविद्यालय को प्रशासनिक निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया जाता है।

19. विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केन्द्र में डॉ. एस.एस. अग्रवाल को से.नि. तिथि के पश्चातवर्ती तिथि से वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में अस्थायी आधार पर वि.वि. के माननीय कार्यपरिषद् दिनांक 20.10.2012 एवं दिनांक 15.12.2015 के विषय क्रमांक 01 में लिए गये निर्णय अनुसार निश्चित मानदेय राशि रु 20800/- प्रतिमाह पर कार्य पर रखे जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केन्द्र में डॉ. एस.एस. अग्रवाल को से.नि. तिथि के पश्चातवर्ती तिथि से वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में अस्थायी आधार पर अतिथि शिक्षक के वर्तमान अधिकतम मानदेय पर कार्य पर रखे जाने का अनुमोदन किया गया। यह व्यवस्था डॉ. अग्रवाल के संबंध में शासन को प्रेषित प्रस्ताव के सापेक्ष अंतिम निर्णय अथवा संबंधित पद पर स्थाई नियुक्ति अथवा तत्संबंध में कार्यपरिषद् के आगामी निर्णय तक मान्य होगा। डॉ. अग्रवाल को Pay Minus Pension के आधार पर संविदा नियुक्ति प्रदान किये जाने हेतु शासन को पूर्व प्रेषित प्रस्ताव के सापेक्ष आवश्यकतानुसार नवीन प्रस्ताव भी भेजे जाने पर सहमति व्यक्त की गई।

### कुल-अनुशासक कार्यालय से प्राप्त प्रस्ताव :-

20. भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 11 अप्रैल 2023, नई दिल्ली के अनुक्रम में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा जारी किये गये पत्र क्रमांक D.O.No.F.I.13/2022(CPP-II) dated 5<sup>th</sup> December 2023/14 अग्रहायण, 1945 अनुसार विश्वविद्यालय में एक लोकपाल (Ombudsperson(s)) नियुक्त हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उक्त Regulation 2023 को विश्वविद्यालय द्वारा अंगीकृत किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: अंगीकृत किया गया।

### गोपनीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

21. वर्ष 2023 की विभिन्न परीक्षा (Supplementary and Ph.D. Entrance Exam-2023) के अनुबंधित फर्म के गोपनीय मुद्रण कार्य पश्चात् प्रस्तुत देयक राशि रु. 36,57,857.00 (रुपए छत्तीस लाख संतावन हजार आठ सौ संतावन मात्र) के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: स्वीकृति प्रदान की गई।

### इलेक्ट्रानिक्स एवं फोटोनिक्स अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

22. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में सेक्शन 8 कंपनी स्थापित करने एवं नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काऊंसिल और सेक्शन 8, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के मध्य एम.ओ.यू. (MoU) समझौता ज्ञापन किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में सेक्शन 8 कंपनी स्थापित किए जाने की अनुमति प्रदान करते हुए नवाचार, Startup को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय की इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काऊंसिल, विश्वविद्यालय की सेक्शन 8 कम्पनी तथा विश्वविद्यालय प्रशासन के मध्य एम.ओ.यू. (MoU) हस्ताक्षरित करने की अनुमति प्रदान की गई।

### विधि अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

23. विधि अध्ययनशाला के अंतर्गत एल.एल.एम. पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर में वर्तमान में निर्धारित 45 सीट की संख्या में वृद्धि कर 55 सीटें (10 पेमेंट कोटा) शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए जारी अधिसूचना क्रमांक 805/अका./प्रवेश अधिसूचना/2023 रायपुर, दिनांक 27.09.2023 की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।

### अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

24. दाऊ कल्याण सिंह सोनवानी महाविद्यालय, जी-जामगाँव, जिला-धमतरी में परिनियम 28 के तहत प्राचार्य, डॉ. किरण श्रीवास्तव के कार्यकाल में वृद्धि करने हेतु चयन समिति द्वारा साक्षात्कार दिनांक 03.08.2023 के वृद्धि पश्चात् दिनांक 19.10.2023 से त्याग पत्र के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय: दाऊ कल्याण सिंह सोनवानी महाविद्यालय, जी-जामगाँव, जिला-धमतरी में परिनियम 28 के तहत प्राचार्य, डॉ. किरण श्रीवास्तव के आवेदन अनुसार दिनांक 19.10.2023 से त्याग पत्र का अनुमोदन किया गया।

### विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

25. विश्वविद्यालय परिसर व भवनो के सफाई व्यवस्था के संबंध में विचार करना।

निर्णय: विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसानुसार विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के सफाई व्यवस्था का कार्य New Bharat Security & Detective Service, Nagpur से 01 वर्ष के लिए दिनांक 01/01/2024 से 31/12/2024 तक लिये जाने का अनुमोदन किया गया।

26. विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग एवं शारीरिक शिक्षा अ.शा. के लिये खेल सामग्री, ब्लेजर एवं ट्रेकसूट सामग्री क्रय करने के लिये Rate Contract हेतु निविदा के संबंध में विचार करना।  
निर्णय: विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग एवं शारीरिक शिक्षा अ.शा. के लिये खेल सामग्री, ब्लेजर एवं ट्रेकसूट सामग्री क्रय करने के लिये न्यूनतम दर के आधार पर निम्नलिखित फर्मों से विश्वविद्यालय के आवश्यकतानुसार क्रय करने का निर्णय लिया गया—
- (A) फर्म मो. आमीर खान, रायपुर से निम्नलिखित सामग्री :—  
1. Hockey Stick, 2. Cricket Ball, 3. Volley Ball Pole (Adjustable)  
ब्लेजर, ट्रेकसूट एवं अन्य सामग्री  
1. टी-शर्ट, 2. हॉफ पैन्ट सेट 3. क्रिकेट ड्रेस एवं जूता
- (B) फर्म गोल्डन मुमेंट, सदर बाजार, रायपुर (छ.ग.) से निम्नलिखित सामग्री :—  
1. Volleyball Ball, 2. Volleyball Net, 3. Basket Ball, 4. Basketball Net, 5. Football Net, 6. Shin Guard, 7. W.K. Gloves 8. Batting Gloves, 9. Stop Watch, 10. Soft-Tennis Net  
ब्लेजर, ट्रेकसूट एवं अन्य सामग्री  
1. जूता, 2. स्वीमिंग कॉस्ट्यूम, 3. बॉक्सिंग कॉस्ट्यूम, 4. बिप्स (बास्केटबॉल, नेटबॉल)
- (C) फर्म New-Way Tailors & Fabrics, 7, Ashirwad Tower, Beside Raj Talkies, G.E. Road, Raipur से निम्नलिखित सामग्री :—  
ब्लेजर, ट्रेकसूट एवं अन्य सामग्री — ट्रेकसूट वि.वि. के मोनो सहित
- (D) फर्म शम्स स्पोर्ट्स एण्ड स्टेशनर्स, सदर बाजार, रायपुर (छ.ग.) से निम्नलिखित सामग्री :—  
1. Hockey Ball, 2. Football Ball, 3. Hand Gloves, 4. Badminton Racket, 5. Abdominal Guard, 6. Cricket Score Book, 7. Cricket Helmet, 8. Goal Keeping Jersey Full Sleeves  
ब्लेजर, ट्रेकसूट एवं अन्य सामग्री  
1. सॉक्स (मोजा), 2. एंकलेट  
जिन सामग्रियों के लिए 03 फर्मों द्वारा दर प्रस्तुत नहीं किया गया है, उन सामग्रियों के लिए भविष्य में द्वितीय निविदा सूचना जारी किया जाए।

27. विश्वविद्यालय में कैंटीन संचालन के संबंध में विचार करना।  
निर्णय: संबंधित Expression of Interest में प्रतिभागी फर्मों के मध्य कैंटीन संचालन के लिए रख-रखाव शुल्क के रूप में अधिकतम धन राशि रु. 25,000=00 (रुपये पच्चीस हजार मात्र) प्रस्तावित किए जाने के आधार पर M/s. Hotel The Golden Oak, M.G.Road, Raipur (C.G.) को कैंटीन संचालन की अनुमति प्रदान की गई।

साहित्य एवं भाषा अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

28. साहित्य एवं भाषा अध्ययनशाला के अंतर्गत एम.ए. हिन्दी एवं एम.ए. छत्तीसगढ़ी में 10-10 सीट (पेमेंट सीट) वृद्धि किए जाने के संबंध में विचार करना।  
निर्णय: अनुमोदन किया गया।

सेंटर फार बेसिक साइंस (CBS) से प्राप्त प्रस्ताव :-

29. मूल विज्ञान केंद्र के छठवे सेमेस्टर के 22 छात्र-छात्राओं को माह जनवरी 2023 से जून 2023 हेतु कुल राशि रुपए 5,70,593/- (पाँच लाख सत्तर हजार पाँच सौ तिरानबे मात्र) छात्रवृत्ति भुगतान किए जाने के संबंध में विचार करना।  
निर्णय: अनुमोदन किया गया।

NCNR से प्राप्त प्रस्ताव :-

30. एन.सी.एन.आर. विभाग में क्रय किए Instruments का Annual Maintenance Contract को Dealer से प्राप्त दर के आधार पर राशि रुपए 15,17,690.00 (रुपए पंद्रह लाख सत्रह हजार छः सौ नब्बे मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।  
निर्णय: प्रस्तावित उपकरणों के AMC हेतु सैद्धांतिक सहमति के साथ प्रस्ताव संबंधी विस्तृत अध्ययन एवं पूर्ण विवरण के साथ भुगतान अनुमति हेतु आगामी कार्यपरिषद् की बैठक में प्रस्तुत किया जाए।



## माँ बंजारी देवी मंदिर ट्रस्ट से प्राप्त प्रस्ताव :-

31. माँ बंजारी देवी मंदिर ट्रस्ट की बैठक दिनांक 04.12.2023 में किए गए संस्तुति विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय: माँ बंजारी देवी मंदिर ट्रस्ट द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित निर्णय लिए गए -

- (1) मंदिर परिसर के लिए प्रस्तावित/चिन्हांकित भूमि क्षेत्रफल कुल 14200 वर्ग मीटर (कुल 152848 वर्ग फीट) चूँकि पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के भूस्वामित्व की भूमि है, अतः मात्र धार्मिक प्रयोजन के लिए उक्त चिन्हांकित भूखण्ड के उपयोग की अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि उक्त भूखण्ड पर सदैव भूस्वामित्व विश्वविद्यालय प्रशासन का ही होगा तथा मंदिर ट्रस्ट इस संदर्भ में कभी भी कोई विधिक दावेदारी/आपत्ति नहीं करेगा।
- (2) चिन्हांकित भूमि का नक्शा कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया गया। नक्शे में चिन्हांकित भू-खण्ड का मंदिर प्रयोजन हेतु उपयोग बिंदु-1 में उल्लेखित शर्त के अधीन किए जाने की अनुमति दी गई।
- (3) मंदिर पहुँच मार्ग जो कि शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला की बाउन्ड्री के बाद तिरछा बना हुआ है। इसके स्थान पर सीधी सड़क के निर्माण तथा चिन्हांकित भूमि के नक्शे के क्रम में सड़क के बायीं ओर पार्किंग स्थल के निर्माण की व्यवस्था विश्वविद्यालय फण्ड से किए जाने की अनुमति प्रदान की गई।
- (4) सड़क के दायीं ओर चहारदीवारी का निर्माण मंदिर ट्रस्ट द्वारा मंदिर को प्राप्त होने वाली दान राशि और जन सहयोग द्वारा प्राप्त राशि से किए जाने की अनुमति प्रदान की गई।

उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

## विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

32. विश्वविद्यालय परिसर व भवनो के सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में विचार करना।

निर्णय: विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसानुसार विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के सुरक्षा व्यवस्था का कार्य New Bharat Security & Detective Service, Nagpur से 01 वर्ष के लिए दिनांक 01/01/2024 से 31/12/2024 तक लिये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

## अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय

1. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु-1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 19.12.2023 के बिंदु क्रमांक 5 में अध्यादेश क्रमांक 45 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पी-एच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया विनियम) 2022 के अनुक्रम में संशोधित अध्यादेश क्रमांक 45 पर विचार करना।

निर्णय: संशोधित अध्यादेश क्रमांक 45 का अनुमोदन किया गया।

2. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु-1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 19.12.2023 के बिंदु क्रमांक 9 में Certificate Courses in Econometrics & Mathematical Economics का Draft Ordinance के अनुमोदन के संबंध में विचार करना।

निर्णय: Certificate Courses in Econometrics & Mathematical Economics का Ordinance No. 202 का अनुमोदन किया गया।

3. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु-1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 19.12.2023 के पूरक विषय सूची के बिंदु क्रमांक 1 में निम्नलिखित सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों के प्रस्तावित अध्यादेश एवं विनियम की अनुशंसा पर विचार करना -

1. Certificate Course in Analytical Technique
- Certificate Course in Soil and Water Analysis
- Certificate Course in Food Adulteration and Toxicology
- Certificate Course in Cement Chemistry

2. Certificate Course in Immunological Technique  
Certificate Course in Molecular Techniques
3. Certificate Course in Diagnostic Microbiology  
Certificate Course in Advance Techniques in Microbiology
4. Certificate Course on Rainwater harvesting

निर्णय: सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों के प्रस्तावित अध्यादेश एवं विनियम की अनुशंसा का अनुमोदन निम्नानुसार किया गया—

अध्यादेश क्रमांक-203 एवं विनियम क्रमांक-205

1. Certificate Course in Analytical Technique  
Certificate Course in Soil and Water Analysis  
Certificate Course in Food Adulteration and Toxicology  
Certificate Course in Cement Chemistry

अध्यादेश क्रमांक-204 एवं विनियम क्रमांक-206

2. Certificate Course in Immunological Technique  
Certificate Course in Molecular Techniques

अध्यादेश क्रमांक-205 एवं विनियम क्रमांक-207

3. Certificate Course in Diagnostic Microbiology  
Certificate Course in Advance Techniques in Microbiology


अध्यादेश क्रमांक-206 एवं विनियम क्रमांक-208


4. Certificate Course on Rainwater harvesting

4. Ideathon के विनियम अनुमोदन की प्रत्याशा में Ideathon कराए जाने की अनुमति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: अनुमोदन किया गया।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।


  
कुलपति  
अध्यक्ष

  
कुलसचिव  
सचिव

पृ.क्रमांक : 207 / अका./ का.प / 2023  
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 20 / 12 / 2023

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
4. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
5. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी,
6. संचालक, आई.क्यू.ए.सी.
7. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
8. वित्त नियंत्रक/प्रभारी, अंकेक्षण,
9. कुलपति/कुलसचिव के निज सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
उप-कुलसचिव (अका.)